भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2283

दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को उत्तर देने के लिए

भारत में गरीबी

2283. श्री राघव लखनपाल:

श्री सुनील कुमार मण्डल:

योगी आदित्यनाथः

डॉ. ए. सम्पतः

श्री कौशलेन्द्र कुमारः

श्री वी. एलुमलाईः

श्री भगवंत खुबाः

श्री राजेश रंजनः

श्री जोस के. मणिः

श्री दुष्यंत चौटालाः

श्री आलोक संजरः

श्री बहादुर सिंह कोलीः

श्री रामसिंह राठवाः

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के आकलन के अनुसार भारत की एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रह रही है;

(ख) यदि हां, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में तत्सबंधी ब्यौरा और राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का उत्थान करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक और प्रभावी उपाय किए गए हैं?

उत्तर
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) – योजना मंत्रालय
तथा रक्षा राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) :जी नहीं। विश्व बैंक द्वारा अक्टूबर,2015 में जारी "एंडिंग एक्सट्रीम पोवर्टी एंड शेयरिंग प्रॉस्पैरिटीः प्रोग्रेस एंड पॉलिसीज" नामक नीतिगत अनुसधान नोट में कहा गया है कि समान सदर्भ अवधि(व्यय को मापने के लिए खाद्य और गैर-खाद्य मदों- दोनों के लिए उपभोग हेतु 30 दिन की वापसी) 2011-12 के लिए,भारत की गरीबी दर 21.2 प्रतिशत थी। इसमें यह भी कहा गया है कि आशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि(एमएमआरपी)(इसके द्वारा कुछेक खाद्य मदों के लिए 30 दिन की वापसी अवधि को घटाकर 7 दिन तथा अल्प बारंबारता वाले गैर-खाद्य उपभोग मदों के लिए 1 वर्ष कर दिया गया) के आधार पर भारत की गरीबी दर पर उपभोग व्यय 2011-12 में 12.4 प्रतिशत था। विश्व बैंक ने भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्यवार गरीबी अनुमान जारी नहीं किए हैं।

(ग) : विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर सदस्य देशों में गरीबी का अनुमान लगाता है ताकि विश्वव्यापी गरीबी में कमी लाने के मामले में हुई प्रगति का अनुवीक्षण किया जा सके। पूर्ववर्ती योजना आयोग ने देश में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय गरीबी मानदंडों का उपयोग नहीं किया जिसकी मुख्य वजह यह थी कि अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों अथवा देश के विभिन्न राज्यों के बीच कोई विभेद नहीं किया गया है।

(घ) : सरकार ने लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने तथा देश में गरीबी को कम करने के लिए,गरीबी को कम करने संबंधी प्रत्यक्ष अंतःक्षेप के माध्यम से विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। इनमें शामिल हैं- प्रधानमंत्री जन-धन योजना(पीएमजेडीवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम(एमजीएनआरईजीएस), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एनआरएलएम),राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(एनयूएलएम), अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन(एएमआरयूटी), सबके लिए आवास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम), सर्वशिक्षा अभियान(एसएसए), एकीकृत बाल विकास स्कीम(आईसीडीएस), मध्याह्न भोजन स्कीम(एमडीएमएस), स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली(टीपीडीएस)/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(एनएफएसए), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पीएमजीएसवाई) के माध्यम से सड़क संयोजन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि। कई अन्य ऐसी पहलें भी हैं जिन्हें प्रत्यक्षतः राज्य सरकारों ने ही राज्य तथा जिला-आधारित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है। सरकार "सबका साथ,सबका विकास" पर ज़ोर दे रही है जो समावेशी विकास का प्रतीक है।

*****